

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6 / वि०पत्रा०-24-10 / 2025

पटना, दिनांक:-

श्री विश्वजीत, राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 28.12.2024 से 18.01.2025 तक 22 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत दिनांक 19.01.2025 से 04.02.2025 तक शेष 17 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री विश्वजीत के पक्ष में देय अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (22-22=00) शून्य दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० / -

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-10 / 2025 963

पटना, दिनांक:- 18/03/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मोतिहारी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विश्वजीत, राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।